गाट।सं०-1396

ग्राम–भेड़ीखुर्द, तहसील–कालपी, जनपद–जालौन, स्थान उरई में 20.23 हेक्टेयर (50 एकड़) क्षेत्रफल में श्री करन सिंह प्रस्तावित पट्टाधारक की सैंड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट के प्रस्ताव पर आयोजित लोकसुनवाई दिनांक–12.07.2012 का कार्यवृत्त–

उपरोक्त संदर्भित प्रस्तावित सैंड/मोरम माइनिंग प्रोजेक्ट के पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बंधी प्रस्ताव उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में प्राप्त हुआ था। प्राप्त प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक–14.9.2006 यथासंसोधित एस.ओ.–3067 दिनांक–01.12.2009 के अनुपालन में लोक सुनवाई आयोजित करने सम्बंधी प्रस्ताव जिलाधिकारी जालौन के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। प्रस्तुत प्रस्ताव पर जिलाधिकारी द्वारा लोक सुनवाई दिनांक–12.07.2012 को ग्राम भेड़ीखुर्द, तहसील–कालपी, जनपद–जालौन में आयोजित करने सम्बंधी प्राप्त निर्देश के अनुपालन में लोक सुनवाई आयोजित करने सम्बंधी सूचना संदर्भित अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सुनवाई की तिथि से एक माह पूर्व हिन्दी दैनिक समाचार पत्र ''हिन्दुस्तान'' के कानपुर संस्करण में दिनांक–10.6.2012 को एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र ''द टाइम्स ऑफ इण्डिया'' के लखनऊ संस्करण में दिनांक–11.6.2012 में प्रकाशित कराई गयी थी।

आज दिनांक–12.7.2012 को जिलाधिकारी जालौन द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी, श्री लोक पाल सिंह की अध्यक्षता में पूर्वान्ह 10.00 बजे से प्रस्तावित खनन स्थल के समीप ग्राम भेड़ीखुर्द के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में आयोजित की गयी।

उक्त लोकसुनवाई में निम्नांकित सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे।

1. श्री लोक पाल सिंह, अपर जिलाधिकारी, जनपद–जालौन।
2. डा0 टी0 एन0 सिंह, सहा0 वैज्ञा0 अधि0, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।
3. श्री महेन्द्र पाण्डेय, परामर्शी, मे0 इण्ड टेक हाउस कन्सल्ट,रोहिणी, दिल्ली।
4. अन्य उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति की छायाप्रति संलग्न है।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के प्रारम्भ में उपस्थित जनसमुदाय को डा0 टी0 एन0 सिंह, सहा0 वैज्ञा0 अधि0, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी द्वारा अध्यक्ष महोदय से लोक सुनवाई प्रारम्भ करने की अनुमति लेने के पश्चात् प्राप्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि बेतवा नदी के ग्राम भेड़ीखुर्द में श्री करन सिंह द्वारा सैण्ड/मोरम माइनिंग हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने संबंधी प्रस्ताव बोर्ड में प्राप्त होने के पश्चात् जिलाधिकारी जालौन से लोक सुनवाई की तिथि नियत करने संबंधी पत्र प्रेषित किया गया था। जिलाधिकारी जालौन द्वारा दिनांक–12.7.2012 को लोकसुनवाई आयोजित किये जाने की तिथि नियत की गयी थी। प्रस्तावित पट्टेधारक द्वारा मे0 इण्ड टेक हाउस कन्सल्ट, रोहिणी, दिल्ली को पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन एवं पर्यावरणीय प्रबन्ध योजना तैयार करने हेतु परामर्शी नियुक्त किया गया था। परामर्शी द्वारा पर्यावरण के विभिन्न घटकों का अनुश्रवण/आकड़ों का एकत्रण कर पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट/पर्यावरणीय प्रबंधन योजना बोर्ड में प्रेषित की गयी थी। उक्त आकड़ों को लोकसुनवाई में उपस्थित सदस्यों को अवगत कराने हेतु डा0 टी0 एन0 सिंह द्वारा परामर्शी को निर्देश दिये गये।

परामर्शी द्वारा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन/पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया तथा यह भी अवगत कराया गया कि एकत्रित ऑकड़ों से सुस्पष्ट है कि खनन क्षेत्र में 10 किमी की त्रिज्या में प्रदूषण का स्तर भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है।

अग्रेतर अवगत कराया गया कि खनन कार्य से उत्पन्न वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु उक्त परियोजना में पानी के छिड़काव एवं बालू को गीला कर ही परिवहन किया जाना प्राविधानित है। यदि पट्टेधारक द्वारा पर्यावरणीय प्रबंधन योजना में सुझाये गये उपायों के अनुरूप खनन/परिवहन इत्यादि कार्य किया जाता है तो पर्यावरण पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अग्रेतर अवगत कराया गया कि मौरम का खनन कार्य मैनुअल विधि से किया जायेगा। खनन हेतु किसी भी तरह की आधुनिक मशीनों का प्रयोग नहीं किया जायेगा, तथा परिवहन हेतु उपयेाग में लाये गये वाहनों से परिवेशीय वायु गुणता को प्रभावित होने से बचाने के लिए आवागमन के कच्चे रास्तों पर जल छिड़काव की व्यवस्था भी की जायेगी।

उक्त के पश्चात् डा0 टी0 एन0 सिंह द्वारा उपस्थित जन समुदाय से प्रस्तावित माइनिंग प्रोजेक्ट पर अपनी आपत्तियॉ/सुझाव/टीका–टिप्पणी यदि कोई हो, तो क्रम से प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया।

1. सर्वपथम श्री शिव कुमार एवं नारायण सिंह, ग्राम भेड़ीखुर्द द्वारा अवगत कराया गया कि यहॉ पर एक ही समस्या है कि हम लोगों के पास ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर से बालू ढुलाई करायी जाये तो हम लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

अपर जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया यगा कि खनन कार्य से संबंधित आस–पास के लोगों एवं ग्रामवासियों का ध्यान रखा जायेगा।

2. श्री गंगा राम ने अवगत कराया कि बालू खनन से खनन क्षेत्र 50 मीटर गहरा हो गया है जिससे फसलों की पैदावार कम हो गयी है तथा ट्रैक्टर के आवागमन से धूल फसलों पर आती है तथा भूजल नीचे जा रहा है, समस्या बतायी गयी।

परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि 03 मीटर से अधिक की गहराई से खनन नहीं किया जायेगा तथा परिवहन में प्रयुक्त वाहनों से उत्पन्न धूल के नियंत्रण हेतु पानी का छिड़काव किया जायेगा।

3. श्री लाखन सिंह पुत्र श्री माधव सिंह ग्रामभेड़ीखुर्द द्वारा कहा गया कि 50 फीट से अधिक गहराई तक खनन आधुनिक मशीनों से किया जाता है तथा इसका विरोध करने पर पट्टेधारकों द्वारा न बोलने की धमकी दी जाती है।

परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त परियोजना में अधिकतम 03 मीटर अथवा पानी निकलने से पहले तक अथवा जो दोनो में कम हो, तक ही खनन कार्य किया जायेगा।

4. छेका लाल पुत्र श्री टीका राम के बताया कि टकों के आवागत से धूल उड़ती है जिससे हम लोगों की फसल खराब हो जाती है तथा मशीनों से कार्य न कराकर मजदूरों से कराया जाये जिससे ग्रामवासियों को रोजगार मिल सके।

अपर जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि धूल के नियंत्रण हेतु पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा स्थानीय निवासियों को रोजगार देने हेतु ध्यान रखा जायेगा।

अन्त में डा0 टी0 एन0 सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि अधिक गहराई तक खनन कराने से भूगर्भ जल स्तर नीचे जाने की संभावना रहती है अतएव निर्धारित किया गया है कि 3 मीटर अथवा पानी निकलने तक अथवा दोनों में जो कम हो, तक खनन की अनुमति है। यदि उक्तानुसार खनन किया जाता है तो पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रित रहेगी तथा भूगर्भ जल स्तर भी नीचे नहीं जायेगा। अधिक जानकारी हेतु खनिज विभाग उरई के सर्वेक्षक से जानकारी प्राप्त किया जाना उचित होगा। सर्वेक्षक द्वारा उक्त का समर्थन किया गया कि तीन मीटर से अधिक गहराई तक खनन किये जाने की अनुमति नहीं है तथा समस्त खनन कार्य मैनुअल विधि से किया जायेगा तथा किसी भी तरह के मशीनरी का उपयोग खनन कार्य में नहीं किया जायेगा।

डा0 टी0 एन0 सिंह द्वारा अपर जिलाधिकारी से लोकसुनवाई में उपस्थित ग्रामवासियों से प्राप्त शिकायतों/सुझावों/आपत्तियों के सम्बन्ध में अपना अभिमत प्रकट करने हेतु अनुरोध किया गया।

अपर जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि खनन पट्टे में खनन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशें–निर्देशें एवं पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बंधित पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशें के अनुरूप ही खनन की अनुमति दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में ग्रामवासियों से प्राप्त शिकायतों/आपत्तियों/सुझावों के संबंध में उचित निर्णय लेते हुये आवश्यक कदम उठाये जायेगें। यदि किसी भी सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी शिकायत हो तो इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन को सूचना दी जा सकती है तथा प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

अन्त में डा0 टी0 एन0 सिंह द्वारा लोकसुनवाई में उपस्थित सदस्यों का आभार प्रकट किया गया तथा अपर जिलाधिकारी महोदय से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् बैठक के समापन की घोषणा की गयी।

लोक सुनवाई में उपस्थित सदस्यों से प्राप्त आपत्तियों/सुझावों/टीक–टिप्पणियों पर विचार करने एवं तदोपरान्त संदर्भित माइनिंग प्रोजेक्ट के पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बंधी प्रस्ताव पर नियमानुसार निर्णय लिये जाने हेतु उपरोक्त कार्यवृत्त अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संस्तुति सहित सादर अग्रसारित।

12.07.12

(डा0 टी0 एन0 सिंह)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी
उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
झांसी

(Dr. T. N. Singh)
Scientific Officer
U.P. Pollution Control Board
JHANSI

(लोक पाल सिंह)
अध्यक्ष / अपर जिलाधिकारी
तहसील व जनपद–जालौन, उरई

(लोकपाल सिंह)
अपर जिलाधिकारी (वि रा)
जालौन स्थान उरई